

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.28( )परावि/प्रशा.2/सहा..पंप्रअ.प्रप्रअ/स्था.पद/पार्ट-2/2019/

3646

जयपुर,दिनांक: 3/10/19

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 3598 दिनांक 26.09.2019 द्वारा सहायक सचिव, पंचायत प्रसार अधिकारी एवं प्रगति प्रसार अधिकारियों के किये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों में से झुंझुनू एवं नागौर जिले से अन्यत्र एवं झुंझुनू एवं नागौर जिले में स्थानान्तरित/पदस्थापित कार्मिकों के आदेशों की क्रियान्विति को चुनाव आचार संहिता समाप्त होने तक स्थगित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,



(मोहम्मद अबूबक्र)

उप सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त संबंधित।
5. जिला कलेक्टर संबंधित।
6. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
8. संबंधित कार्मिकों को पालनार्थ।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
10. आदेश पत्रावली



उप सचिव एवं उपायुक्त